



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271097  
CG-DL-E-20032026-271097

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1370]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 1370]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

**का.आ. 1435(अ).**— यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचनाएँ संख्या क्रमशः का.आ. 2006(अ), दिनांक 20.08.2012 तथा का.आ. 4173(अ), दिनांक 27.12.2016 द्वारा, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (नया एनएच-205 एवं एनएच-154) के किलोमीटर 73.200 से किलोमीटर 190.000 (किरतपुर से नेरचौक खंड) और किलोमीटर 190.000 से किलोमीटर 310.400 (नेरचौक से मनाली खंड) के भाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा जाएगा) को सौंपा है;

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 2764(अ) दिनांक 22 जून, 2023 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-21 (अब राष्ट्रीय राजमार्ग-205 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-154) के किरतपुर-नेरचौक-मनाली खंड के किलोमीटर 119.965 से किलोमीटर 178.795 और किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 2.003 तक उपयोग के लिए दी गई नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर निवल सड़क खंड लंबाई 25.544 किमी [सारणी-2] तथा 36.080 किलोमीटर [सारणी-4] की समतुल्य संरचना लंबाई (3.608 किमी जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक) के लिए चार या अधिक लेन खंड के उपयोग के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर का 100% तथा 10.000 किलोमीटर की लंबाई वाली [सारणी-4] की समतुल्य संरचना लंबाई 1.000 किमी (लंबाई 60 मीटर से अधिक) के पेव्ड शोल्डर खंड के उपयोग के लिए आधार

दर का 60% तथा चार लेन के 28.938 किमी [सारणी-3] की बाईपास लंबाई जिनकी लागत दस करोड़ रुपये या अधिक है पर आधार दर का डेढ़ गुणा और पेवेद शोल्डर सहित दो लेन के 1.743 किमी [सारणी-3] की बाईपास लंबाई के लिए आधार दर का 90% शुल्क उदग्रहीत करती है और एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, निम्नानुसार:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदग्रहीत और संग्रहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी-2		
टोल प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय	दर जिस पर शुल्क संदेय है
हिमाचल प्रदेश राज्य में बिलासपुर जिले के बालोह गाँव में डिजाइन किमी 121.935 पर	25.544	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:-

सारणी-3						
टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ में)	
हिमाचल प्रदेश राज्य में बिलासपुर जिले के बालोह गाँव में डिजाइन किमी 121.935 पर	ग्रीनफील्ड बाईपास	119.965	129.054	7.835	373.654	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	सुंदरनगर बाईपास	136.950	143.630	6.542	99.69	
	नेरचौक बाईपास	148.213	152.415	4.097	34.28	
	मंडी बाईपास	153.615	161.610	5.846	509.69	
	पंडोह बाईपास	173.540	178.795	4.618	171.27	
	कुल (क)				28.938	

	एसीसी लिंक रोड	0.000	2.003	1.743	25.734	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	कुल (ख)			1.743	25.734	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग हेतु ऐसी संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी-4			
टोल प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
हिमाचल प्रदेश राज्य में बिलासपुर जिले के बालोह गाँव में डिजाइन किमी 121.935 पर	1.000 <sup>^</sup>	10.000	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
हिमाचल प्रदेश राज्य में बिलासपुर जिले के बालोह गाँव में डिजाइन किमी 121.935 पर	3.608 <sup>^^</sup>	36.080	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

<sup>^</sup>विवरण निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	60 मीटर से अधिक लंबाई वाली दो लेन की संरचनाएं			
	संरचना (चेनेज) (किमी)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
1	127.860	128.600	2 लेन टनल	0.740
2	1.085	1.345	2 लेन पुल	0.260
	कुल			1.000

<sup>^^</sup>विवरण निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	60 मीटर से अधिक लंबाई वाली चार या अधिक लेन की संरचनाएं				
	संरचना (चेनेज) (किमी)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)	4-लेन की औसत लंबाई (किमी.)
	से	तक			
1	122.220	122.373	4 लेन पुल	0.153	0.153
2	123.000	123.073	4 लेन पुल	0.073	0.073
3	125.804	125.936	4 लेन पुल	0.132	0.132
4	127.720	127.801	4 लेन पुल	0.081	0.081
5	128.979	129.054	4 लेन पुल	0.075	0.075
6	139.550	139.622	4 लेन पुल	0.072	0.072
7	141.876	141.942	4 लेन पुल	0.066	0.066

8	148.213	148.318	4 लेन पुल	0.105	0.105
9	154.678	154.768	4 लेन पुल	0.090	0.090
10	158.345	158.411	4 लेन पुल	0.066	0.066
11	159.115	160.350	2 लेन टनल (एलएचएस)	1.235	1.240
	159.115	160.360	2 लेन टनल (आरएचएस)	1.245	
12	160.749	161.492	2 लेन टनल (एलएचएस)	0.743	0.753
	160.753	161.515	2 लेन टनल (आरएचएस)	0.762	
13	173.760	173.934	4 लेन पुल	0.174	0.174
14	175.005	175.388	4 लेन टनल	0.383	0.383
15	175.515	175.595	4 लेन पुल	0.080	0.080
<b>कुल (क)</b>					<b>3.543</b>
<b>रोड चौड़ा करने पर</b>					
16	172.150	172.215	4 लेन पुल	0.065	0.065
<b>कुल (ख)</b>					<b>0.065</b>
<b>सकल योग (क+ख)</b>					<b>3.608</b>

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340/- रुपए (रुपए तीन सौ चालीस मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

<b>सारणी-5</b>		
संशोधन राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमाम्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस ज़िले में शुल्क प्लाज़ा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1क के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 3091.18 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यक्षीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/पीडी/पीआईयू-मंडी/टी-के/31-बी/267/ ई-257028]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2026

**S.O. 1435(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. No. 2006 (E) dated 20.08.2012 and S. O. No. 4173 (E) dated 27.12.2016 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 73.200 to Km 190.000 (Kiratpur to Nerchowk Section) and from Km. 190.000 to Km. 310.400 (Nerchowk to Manali Section) of National Highway No. 21 (New NH- 205 & NH-154) in the State of Himachal Pradesh to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the “Authority”) respectively.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (herein after referred to as the “rules”) and in supersession of the notification bearing S.O. 2764(E) dated 22nd June, 2023, the Central Government hereby levies the fee at 100% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 25.544 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 36.08 Km (having length of 3.608 km [Table-4]) for the use of four or more lane section and at 60% of the base rate for use of two lanes with paved shoulder section of equivalent structure length (having length more than 60m) of 10.000 km (having length of 1.000 km [Table-4]) and one and half times the base rates for four lane bypass length of 28.938 km [Table-3](Costing rupees ten crore or more) and 90% of the base rate for two lane with paved shoulders bypass length of 1.743 Km [Table-3] on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Kiratpur-Nerchowk–Manali section from Km. 119.965 to Km. 178.795 & Km. 0.000 to Km. 2.003 of NH-21 (Now NH-205 & NH-154) in the state of Himachal Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1	
Type of vehicle	Base rate fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Minibus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

TABLE-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Located at design km 121.935 at Baloh village of Bilaspur District in the state of Himachal Pradesh	25.544	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

TABLE-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
Located at design km 121.935 At Baloh village Of Bilaspur District in the state of Himachal Pradesh	Greenfield Bypass	119.965	129.054	7.835	373.654	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Sundernagar Bypass	136.950	143.630	6.542	99.69	
	Nerchowk Bypass	148.213	152.415	4.097	34.28	
	Mandi Bypass	153.615	161.610	5.846	509.69	
	Pandoh Bypass	173.540	178.795	4.618	171.27	
	<b>Total (A)</b>				<b>28.938</b>	<b>1188.584</b>
	ACC Link Road	0.000	2.003	1.743	25.734	90% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	<b>Total (B)</b>			<b>1.743</b>	<b>25.734</b>	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

TABLE-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures <sup>^</sup> (in km) To be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Located at design km 121.935 at Baloh village of Bilaspur District in the state of Himachal Pradesh	1.000 <sup>^</sup>	10.000	60% for two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1 above

Located at design km 121.935 at Baloh village of Bilaspur District in the state of Himachal Pradesh	3.608^^	36.080	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
---	---------	--------	--

^The details are as under:

Sl. No.	Two Lane Structures having length more than 60 m			
	Structure (Chainage (Km.))		Type of Structure	Length (Km.)
1	127.860	128.600	2 Lane Tunnel	0.740
2	1.085	1.345	2 Lane Bridge	0.260
<b>Total</b>				<b>1.000</b>

^^ The details are as under:

Sl. No.	Four lane or more Structures having length more than 60m				
	Structure (Chainage (Km.))		Type of Structure	Length (Km.)	Average 4-lane length (Km.)
	From	To			
1	122.220	122.373	4 Lane Bridge	0.153	0.153
2	123.000	123.073	4 Lane Bridge	0.073	0.073
3	125.804	125.936	4 Lane Bridge	0.132	0.132
4	127.720	127.801	4 Lane Bridge	0.081	0.081
5	128.979	129.054	4 Lane Bridge	0.075	0.075
6	139.550	139.622	4 Lane Bridge	0.072	0.072
7	141.876	141.942	4 Lane Bridge	0.066	0.066
8	148.213	148.318	4 Lane Bridge	0.105	0.105
9	154.678	154.768	4 Lane Bridge	0.090	0.090
10	158.345	158.411	4 Lane Bridge	0.066	0.066
11	159.115	160.350	2 Lane Tunnel (LHS)	1.235	1.240
	159.115	160.360	2 Lane Tunnel (RHS)	1.245	
12	160.749	161.492	2 Lane Tunnel (LHS)	0.743	0.753
	160.753	161.515	2 Lane Tunnel (RHS)	0.762	
13	173.760	173.934	4 Lane Bridge	0.174	0.174
14	175.005	175.388	4 Lane Tunnel	0.383	0.383
15	175.515	175.595	4 Lane Bridge	0.080	0.080
<b>Total (A)</b>					<b>3.543</b>
<b>On Widening Road</b>					
16	172.150	172.215	4 Lane Bridge	0.065	0.065
<b>Total (B)</b>					<b>0.065</b>
<b>Grand Total (A+B)</b>					<b>3.608</b>

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilo-metres from the fee plaza is Rs 340/- (Rs. Three Hundred and Forty Only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

<b>TABLE-5</b>		
<b>Amount Payable</b>	<b>Maximum number of one-way journeys allowed</b>	<b>Period of validity</b>
One and half times of the fee for one Way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable For fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 3091.18 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No: NHAI/PD/PIU-Mandi/T-K/31-B/267/ E-257028]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.